



भारत सरकार
कार्यालय, आयकर आयुक्त,
47, सी. एच. एरिया, जमशेदपुर

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए/ए के तहत आदेश
जमशेदपुर, दिनांक 25 जून, 2014

हेल्थ (HEALTH), चकधरपुर ने आयकर अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत निबंधन हेतु अपना आवेदन विहित पत्र में दिनांक 05/05/2014 को अपने संविधान दिनांक 23/12/2009 के प्रतिलिपि के साथ दिया है। इस संस्था का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा 12ए/ए के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है जो कि कर वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रभावी होगा।

इस कार्यालय में धारा 12ए/ए के अधीन रखे गए आवेदन पत्र की पंजिका में इस आवेदन को आ0आ0/जम0/तकनीकी/12ए-25/2014-15 में प्रविष्टि कर दिया गया है।



(वीर बिरसा एक्का)
आयकर आयुक्त, जमशेदपुर

ज्ञापन सं०: आयकर आयुक्त/जम0/तकनीकी/12ए-25/2014-15/ 1367-69
दिनांक, जमशेदपुर, 25 जून, 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

- ✓ सचिव, हेल्थ (HEALTH), वार्ड न0-9, थाना रोड, चकधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम।
2. अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-1, जमशेदपुर।
3. सहायक आयकर आयुक्त, अंचल-1, जमशेदपुर।
4. निम्नलिखित निर्देशों के साथ :
 - क. उपर्युक्त आवेदन की आयकर विवरणी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
 - ख. आयकर धारा 11 (4ए) की पात्रता के संबंध में आवश्यक जाँच करें।

(रंजीत कुमार लाल)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते : आयकर आयुक्त, जमशेदपुर